भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3793

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

नौकरी छूटना और पुन: रोजगार प्राप्त करना

3793. श्री कुलदीप इंदौरा:
श्री राहुल कस्वां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में नौकरी गंवाने वाले कामगारों, श्रमिकों और शिक्षित युवाओं की संख्या का वर्ष-वार और राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बेरोजगार व्यक्तियों को पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही अथवा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और राजस्थान में जिला-वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का नौकरी गंवाने वाले व्यक्तियों को अस्थायी वित्तीय सहायता, बेरोजगारी भत्ता या कौशल उन्नयन से संबंधित प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ)**:** रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)
2021-22	4.1	52.9
2022-23	3.2	56.0
2023-24	3.2	58.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस के आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। पीएलएफएस रिपोर्टों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (राजस्थान सहित) की जानकारी उपलब्ध है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, रोजगार गंवाने वाले बीमित कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है।

*****